Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

डाकघर की सुकन्या योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन इन्दौर जिले के सन्दर्भ में

डॉ. जे.के. जैन* डॉ. पी.के. सन्से विभा सोहरा*****

* प्राध्यापक (वाणिज्य) भेरूलाल पाटीदार शासकीय महाविद्यालय,महू जिला इन्दौर (म.प्र.)) भारत
** प्राध्यापक (वाणिज्य) भेरूलाल पाटीदार शासकीय महाविद्यालय,महू जिला इन्दौर (म.प्र.) भारत
*** शोधार्थी (वाणिज्य) देवी आहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण बचत योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। यह योजना विशेष रूप से डाकघरों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू की जाती है। इस शोध पत्र में इंदौर जिले के विभिन्न आय-वर्गों एवं सामाजिक समूहों में इस योजना की प्रभावशीलता, जागरूकता, लाभप्राप्ति, और इसके समक्ष चुनौतियों का मूल्यांकन किया गया है।
शब्द कुंजी – डाकघर, सुकन्या समृद्धि योजना, सामाजिक जागरूकता।

प्रस्तावना – सरकारी योजनाएँ सरकार द्वारा नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए शुरू की जाती हैं। ये योजनाएँ देश के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई गई हैं। इनमें से डाकघर की एक प्रमुख योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के अंतर्गत लॉन्च किया गया। यह योजना विशेष रूप से लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण और उनके भविष्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

यह शो पत्र इन्दौर जिले में सुकन्या समृद्धि योजना के कार्यान्वयन, लाभ और चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है ताकि योजना की प्रभावशीलता और उसमें सुधार की संभावनाओं का विश्लेषण किया जा सके।

अनुसंधान के उद्देश्य :

1. इंदौर जिले में सुकन्या समृद्धि योजना के प्रति जागरूकता की स्थिति का अध्ययन करना।
2. योजना के अंतर्गत पंजीकरण एवं लाभान्वित परिवारों की संख्या का मूल्यांकन करना।
3. योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझना।
4. योजना के दीर्घकालीन प्रभाव का आकलन करना।

अनुसंधान पद्धति –प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीयक आकड़ों का उपयोग किया गया है।

सुकन्या समृद्धि योजना का संक्षिप्त परिचय–सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक उसके माता-पिता या अभिभावक उसके नाम से खाता खोल सकते हैं। यह खाता डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा में खोला जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएँ हैं –

1. न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये प्रति वर्ष।
2. अधिकतम जमा राशि 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष।
3. खाते की परिपक्वता 21 वर्ष के बाद या बालिका की शादी के समय (18 वर्ष की आयु के बाद) तक लेकिन शादी की तारिक से 1 महिने से पहले या 3 महीने के बाद समापन की अनुमति नहीं है।
4. ब्याज दर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित, वर्तमान में ब्याज दर 8.2 प्रतिशत वार्षिक (01-01-2024 से)गणना वार्षिक आधार पर, चक्रवृद्धि वार्षिक।
5. कर लाभ इस योजना के अंतर्गत जमा राशि और अर्जित ब्याज पर कर में छूट मिलती है।

तालिका- 1: सुकन्या समृद्धि योजना जमा राशि

क्र.	वर्ष	जमा राशि (करोड़ में)	आधार वर्ष की तुलना में प्रतिशत कमी/वृद्धि	पिछले वर्ष की तुलना में कमी /वृद्धि
1	2011-12	-	-	-
2	2012-13	-	-	-
3	2013-14	-	-	-
4	2014-15	13.53	-	-
5	2015-16	19.27	42.42	42.42
6	2016-17	44.26	227.12	129.68
7	2017-18	71.83	430.89	62.29
8	2018-19	92.58	584.26	28.89
9	2019-20	124.97	823.65	34.99
10	2020-21	140.53	938.65	12.45

स्त्रोत : इंदौर सिटी डिवीजन
वार्षिक औसत वृद्धि दर 29.700 %

सुकन्या समृद्धि योजना में इंदौर जिले के लिए 2014-15 से 2020-21 तक जमा राशि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2014-15 में जमा राशि 13.53 करोड़ रुपये थी, जो 2020-21 में बढ़कर 140.53 करोड़ रुपये हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में 34.99% और 2020-21 में 12.45% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि में वार्षिक औसत वृद्धि दर 29.70% रही, जिससे स्पष्ट होता है कि योजना ने लोगों का विश्वास जीता है और बालिकाओं के भविष्य सुरक्षित करने के प्रति जागरूकता में भी वृद्धि हुई है।

तालिका- 2: सुकन्या समृद्धि योजना

क्र.	वर्ष	खातों की संख्या (हजारों में)	आधार वर्ष की तुलना में प्रतिशत कमी/वृद्धि	पिछले वर्ष की तुलना में कमी /वृद्धि
1	2011-12	-	-	-
2	2012-13	-	-	-
3	2013-14	-	-	-
4	2014-15	6.50	-	-
5	2015-16	61.24	842.15	842.15
6	2016-17	68.75	957.69	12.26
7	2017-18	73.13	1025.08	6.37
8	2018-19	125.72	1834.15	71.91
9	2019-20	140.36	2059.38	11.64
10	2020-21	140.95	2068.46	.42

स्रोत : इंदौर सिटी डिवीजन

वार्षिक औसत वृद्धि दर 40.754 %

इंदौर जिले में सुकन्या समृद्धि योजना के खातों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2014-15 के बाद से खातों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जहाँ 2015-16 में 61.24 हजार खाते दर्ज हुए और 2020-21 तक यह बढ़कर 140.95 हजार हो गए। आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि 2068.46% तक पहुंच गई, जबकि वार्षिक औसत वृद्धि दर लगभग 40.75% रही। यह डेटा दर्शाता है कि योजना में निवेश और जनसंख्या की जागरूकता में निरंतर सुधार हुआ है।

योजना के उद्देश्य:

1. लड़कियों की शिक्षा के लिए बचत को प्रोत्साहित करना।
2. लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
3. समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच किसित करना।

सुकन्या योजना के लाभ/गुण:

1. आर्थिक सुरक्षा- बेटियों की शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा मिलती है।
2. उच्च ब्याज दर - अन्य बचत योजनाओं की तुलना में बेहतर ब्याज दर मिलती है।
3. कर में छूट - जमा राशि और ब्याज पर कर लाभ मिलता है।
4. बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच - समाज में बेटियों के भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।

इन्दौर जिले में सुकन्या समृद्धि योजना का कार्यान्वयन-इन्दौर जिले में सुकन्या समृद्धि योजना का प्रचार-प्रसार डाकघरों और बैंकों द्वारा किया जाता है। यह क्षेत्र मध्यप्रदेश का आर्थिक और औद्योगिक केंद्र है, जहाँ शिक्षा का स्तर और जागरूकता अन्य जिलों की तुलना में अधिक है। इसके बावजूद, कुछ ग्रामीण और शहरी गरीब वर्गों में योजना के प्रति जागरूकता और पहुँच सीमित है।

1. जागरूकता कार्यक्रम-इन्दौर जिले में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएँ सुकन्या समृद्धि योजना के प्रचार में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। स्कूलों, आँगनवाड़ियों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से बालिकाओं के माता-पिता को योजना के लाभों के बारे में जानकारी दी जाती है।
2. खाता खोलने की प्रक्रिया-इन्दौर में डाकघरों और बैंकों में सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की प्रक्रिया सरल है, लेकिन कभी-कभी दस्तावेज़ीकरण की समस्याएँ और तकनीकी अव्यवस्थाएँ सामने आती हैं।

लाभार्थियों की स्थिति -इंदौर जिले में सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत हजारों खाते खोले गए हैं। शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अधिक होने के कारण लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण अपेक्षाकृत कम खाते खोले गए हैं।

योजना के प्रति लोगों की जागरूकता:

1. इंदौर शहर में अधिकांश मध्यमवर्गीय परिवार सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानते हैं।
2. शहरी क्षेत्र - बैंकिंग सेवाओं की सुलभता और मीडिया के प्रचार-प्रसार के कारण जागरूकता अधिक है।
3. ग्रामीण क्षेत्र - पोस्ट ऑफिस तक पहुँच की कमी और जागरूकता अभियानों के अभाव के कारण योजना का क्रियान्वयन कमजोर है।

सुकन्या योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन

सकारात्मक पहलू:

1. उच्च ब्याज दर - सुकन्या समृद्धि योजना में मिलने वाली ब्याज दर अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक है।
2. कर लाभ - इस योजना के अंतर्गत जमा की गई राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80उ के तहत कर में छूट मिलती है।
3. भविष्य की वित्तीय सुरक्षा - लड़कियों की शिक्षा और विवाह जैसे महत्वपूर्ण खर्चों के लिए एक निश्चित बचत का प्रावधान।
4. सरकारी गारंटी- यह योजना सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें जोखिम कम है।

नकारात्मक पहलू:

1. जागरूकता की कमी - ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इस योजना के बारे में पर्याप्त जागरूकता नहीं है।
2. नकद जमा की आवश्यकता - डिजिटल लेन-देन की सुविधा सीमित होने के कारण कई लोगों को पोस्ट ऑफिस जाकर नकद जमा करना पड़ता है।
3. लंबी अवधि का लॉक-इन - खाता 21 वर्ष के लिए लॉक होता है, जो कई परिवारों के लिए असुविधाजनक है।
4. महंगाई का प्रभाव - भविष्य में महंगाई बढ़ने पर जमा की गई राशि की क्रय शक्ति कम हो सकती है।

इन्दौर जिले में योजना से संबंधित चुनौतियाँ-हालाँकि सुकन्या समृद्धि योजना के कई लाभ हैं, लेकिन इन्दौर जिले में इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी देखी गई हैं-

1. जागरूकता की कमी - ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में योजना के प्रति जानकारी का अभाव है।

2. तकनीकी समस्याएँ – डाकघरों और बैंकों में ऑनलाइन सेवाओं की कमी के कारण खाता खोलने में देरी होती है।
3. लिंग असमानता – कुछ समुदायों में अभी भी बेटों की तुलना में बेटियों को कम प्राथमिकता दी जाती है।
4. दस्तावेज़ीकरण की समस्याएँ – गरीब परिवारों में आवश्यक दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, जन्म की सही तारिक आदि का न होना एक बड़ी बाधा है।
5. डिजिटल सारक्षता की कमी – ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा का अभाव और डिजिटल साक्षरता की कमी से योजना का प्रचार-प्रसार सीमित हो रहा है।

समाधान और सुझाव:

1. जागरूकता अभियान -शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, आँगनवाड़ियों और पंचायतों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
2. तकनीकी सुधार – डाकघरों और बैंकों में तकनीकी सुविधाओं में सुधार कर बढ़ावा दिया जाए।
3. महिलाओं की भागीदारी – महिला स्वयं सहायता समूहों को योजना के प्रचार-प्रसार में शामिल किया जाए।
4. सरलीकृत प्रक्रिया – दस्तावेज़ीकरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए।

निष्कर्ष – सुकन्या समृद्धि योजना एक महत्वपूर्ण और दूरगामी सोच वाली योजना है, जिसका उद्देश्य बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। यह योजना इन्दौर जिले में बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक प्रभावी पहल है। हालाँकि, इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जागरूकता में वृद्धि, तकनीकी सुधार, और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। यदि इन चुनौतियों को सुलझा लिया जाए तो यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुमार, एस. (2023),'सुकन्या समृद्धि योजना : एक वित्तीय समावेशन पहल का विश्लेषण', इंडियन जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स,12(1),45-60।
2. शर्मा, आर. (2022),'भारत में बालिका सशक्तिकरण: नीतियाँ और प्रभाव', नई दिल्ली: शिक्षा प्रकाशन।
3. यादव, पी. (2021),'ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन और बचत योजनाएँ', मुंबई: सामाजिक अध्ययन संस्थान।
4. मिश्रा, के. (2020),'सामाजिक कल्याण योजनाओं का मूल्यांकन: एक नीति विश्लेषण', वाराणसी: गंगा पब्लिकेशन्स।
5. सिंह, वी. (2018),'महिला कल्याण योजनाएँ और उनका सामाजिक प्रभाव', पटना: राष्ट्रीय नीति अनुसंधान केंद्र।

****